न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 160/17

अनवान :

1. रामभगत पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री रतन धारीवाल : वादी

निर्णय **दिनांक : 27.11.17**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 209/197 के मु0नं0 102 के किला नं0 18, 21 से 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 103 के किला नं0 23 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0नं0 117 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 118 के किला नं0 1 से 3, 9 से 12, 19 से 21 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 127 के किला नं0 1 व 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 128 के किला नं0 1 से 15, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 146 के किला नं0 1 ता 3 व 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मय रास्ता, कुल क्षेत्रफल 17.9630 है0 जिसमें रास्ता 0.246 है0 है। उक्त कृषि भूमि के पुराने खाता सं0 149/136 जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 57 में 71 बीघा बारानी खातेदारी दीगर खातेदारान की थी।

उपरोक्त खातेदारी में 30 हिस्सा कृषि भूमि में दलबीर पुत्र मनीराम जाति जाट के नाम से खातेदारी काश्तकारी थी। दलवीर पुत्र मनीराम के चिपते ही फरीकेन दावा की भी कृषि भूमि स्थित थी।

दलवीर पुत्र मनीराम ने अपने कुल हिस्सा की जो कि 30 हिस्सा थी को दिनांक 24.08.1998 को वादी रामभगत व प्रतिवादी रामकिशन जो कि सगे भाई है को जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड विक्रय कर दी। बैयनामा के जरिये वादी रामभगत ने 20 हिस्सा व प्रतिवादी रामकिशन ने 10 हिस्सा कृषि भूमि खरीद की थी तबसे अपने बैयनामा के अनुसार ही फरीकेन दावा अपने अपने हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी के जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी रामकिशन ने इकबालदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में रामभगत पुत्र लिछमण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 24.08.98 प्रदर्श 1ए, चित्रप्रति जमाबन्दी चक 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... हनुमानगढ़

जेजीडब्ल्यु खाता सं0 209/197 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 2, चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर चक 4 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 4, चित्रप्रति जमाबन्दी खतौनी चक 4 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2054 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि दोनों भाईयों वादी ने 20 हिस्सा व प्रतिवादी ने 10 हिस्सा भूमि खरीद कर बैयनामा करवाया, परन्तु पुरा 30 हिस्सा प्रतिवादी के नाम ही चढ गया। अब दोनों में समझौता हो गया है। अतः मुताबिक बैयनामा अनुतोष दिया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 4 जेजीडब्ल्यु की कृषि भूमि में मुताबिक बैयनामा दिनांक 24.08.98 के अपने हक की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चूंकि प्रतिवादी रामकिशन ने इकबालदावा पेश कर दलवीर पुत्र मनीराम से 30 हिस्सा भूमि खरीद करना जिसमें 20 हिस्सा वादी रामभगत व 10 हिस्सा स्वयं प्रतिवादी का होना स्वीकार किया है जिसकी पुष्टी चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 24.08.98 प्रदर्श 1ए के अवलोकन से होती है। इसी प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात यथा् चित्रप्रति वादी बेयनामा प्रदर्श 1ए से वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक बैयनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 जेजीडब्ल्यु के खाता सं0 209/197 के मु0नं0 102 के किला नं0 18, 21 से 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 103 के किला नं0 23 से 25 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0नं0 117 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 118 के किला नं0 1 से 3, 9 से 12, 19 से 21 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 127 के किला नं0 1 व 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 128 के किला नं0 1 से 15, 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 146 के किला नं0 1 ता 3 व 10 प्रत्येक की 0.253 है0 मय रास्ता, कुल क्षेत्रफल 17.9630 है0 जिसमें रास्ता 0.246 है0 कृषि भूमि में प्रतिवादी रामकिशन के नाम दर्ज 125–11/12 हिस्सा खातेदारी में वादी 20 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी रामकिशन 105–11/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार वादी 115–11/12 हिस्सा व प्रतिवादी रामकिशन 105–11/12 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़